दिनांक 21.06.2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

**एक्सपायरी डेट का मिला खाद्य पदार्थ, उड़नदस्ता की टीम ने गई कार्रवाई**

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई की तोड़फोड़ दस्ता द्वारा जीई रोड के दोनों किनारे बेतरतीब व्यवसाय करने वाले ठेले, गुमटी को यातायात व्यवस्थित किये जाने हेतु बेदखल की कार्यवाही की जा रही है। आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देश पर तोड़फोड़ कार्यवाही के दौरान दस्ते के साथ उड़नदस्ता की टीम भी साथ-साथ चलकर दुकानों के विक्रय हेतु बाहर रखे गये सामग्री को हटाने की कार्यवाही के साथ खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। शुक्रवार को उड़नदस्ता की टीम ने 22 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर उनके विरुद्ध 51300 रुपये अर्थदण्ड वसूले। उड़नदस्ता की टीम पुरानी बस्ती कोहका में मदन मोहन मालवीय विद्यालय के सामने कचरा फैलाने एवं नाली में झिल्ली , पन्नी, प्लास्टिक डालने के विरुद्ध अंजली ट्रेडर्स वार्ड 9 में कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड वसूला , मठपारा रेड चिल्ली, होटल वाईल्ड, सुजूकी आरो सेल्स , रुद्रांश इंजीनियरिंग, वेलीसिटी, मौर्या मोटर्स पावर हाउस , आदित्य पैकर्स एवं मुवर्स, एमके इंटरप्राईजेस, स्वाद जूस कार्नर, एकता जूस सेन्टर, जूस सेन्टर नंदनी रोड, राजू गेटकर चप्पल दुकान नंदनी रोड , सुनील नास्ता दुकान, दरबारी नास्ता सेन्टर, सुनील गुप्ता फल व्यवसायी, चंदन जायसवाल फास्ट फुड सेन्टर, सुरज जायसवाल, पोषण साव नास्ता दुकान, गणेश चाट दुकान, सतीष मोची आदि दुकानों से अनुज्ञप्ति लायसेंस नहीं होने, विक्रय की वस्तु सड़क पर रखे जाने, दुषित खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु रखे जाने की कार्यवाही करते हुए टीम के सदस्य जनता मार्केट पावर हाउस में पहुंचकर पतंजलि चिकित्सालय एवं स्टोर्स में रखे गये खाद्य पदार्थ बिस्किट्स , पोहा चिवरा, मसाला, सोयाबिटा जो एक्सपायरी डेट के थे जिसे मानव जीवन के लिए हानिकारक होने के कारण भारी मात्रा में उक्त सभी एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थों की उड़नदस्ता की टीम ने जब्ती बनाई।

जनसम्पर्क अधिकारी

**जल है तो कल है, जल ही जीवन है**